न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

———

प्रकरण कमांक निगरानी 3698–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–08–2013 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील सिरोज जिला–विदिशा प्रकरण कमांक 619/अ–21/2011–12.

———

सरदारमल जैन पुत्र श्री रूपजी जैन
निवासी कृषक ग्राम चाठौली तहसील सिरोंज
जिला विदिशा (म.प्र.)

——— आवेदक

विरूद्ध

1– गजराजसिंह पुत्र श्री रामलाल

2– वीरसिंह पुत्र स्व0 श्री रामलाल

3– मुल्लोबाई पत्नी स्व0 श्री रामलाल
निवासीगण ग्राम चाठौली तहसील सिरोंज
जिला विदिशा

4– नारानबाई पुत्री स्व0 श्री रामलाल पत्नी श्री धनश्याम
निवासी ग्राम कामपुर तहसील नटेरन जिला विदिशा

5– राममनी पुत्री स्व0 श्री रामलाल पत्नी श्री धनराज मालवीय
निवासी ग्राम ढोलखेंडी तहसील
एवं जिला विदिशा (म.प्र)

——— अनावेदकगण

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह ठाकुर ।
अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश गिरी ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 04-06-2015 को पारित)

———

यह निगरानी तहसीलदार, सिंरोज द्वारा प्रकरण कमांक 619/अ–21/11–12 में पारित आदेश दिनांक 3–8–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकों के पूर्वज रामलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 169 के तहत इस आशय का आवेदन पेश किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि को आवेदक ने उन्हें जुलाई 1975 में कृषि कार्य करने हेतु लगान अदा करने की शर्त पर तीन वर्ष हेतु मौखिक रूप से पट्टे पर दी थी तब से ही उनका निरंतर आधिपत्य चला आ रहा है तथा आवेदक ही भूमि का लगान अदा कर रहा है । आवेदक द्वारा आवेदक को विवादित भूमि से बेदखल किए जाने की कार्यवाही कभी नहीं की । उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम अधिपति कृषक के रूप में अंकित किए जाने का अनुरोध किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की तथा आलोच्य आदेश द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत प्रकरण को प्रचलन योग्य मानते हुए पटवारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे विवादित भूमि पर वर्तमान कब्जे की की स्थिति का मौका जांच प्रतिवेशन पेश करें जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जाये । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से प्रकरण में लिखित बहस पेश की गई है ।

4/ अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है । यह प्रकरण कब्जे के आधार पर विवादित भूमि पर 1975 से कब्जा होना उल्लिखित करते हुए संहिता की धारा 169 के तहत प्रस्तुत किया गया है । उक्त आवेदन पर से अधीनस्थ न्यायालय आलोच्य भूमि की वर्तमान स्थिति के संबंध मं प्रतिवेदन बुलाकर प्रकरण में आगे कार्यवाही के निर्देश दिए हैं । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई भी प्रकियात्मक त्रुटि नहीं है और ना ही ऐसी कोई अवैधता या अनियमितता है जिसके आधार पर पुनरीक्षण के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाये । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही की पुष्टि करते हुए यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम.के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर